न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस,

राजस्व मामला संख्या – 20/2017
जी0सी0एम0एस0 पोर्टल नम्बर – 2017/00032

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
काशीराम पुत्र श्री लालाराम जी जाति नाई निवासी रायधनू तहसील व जिला नागौर		1. नरसीराम पुत्र श्री रामचन्द्र के कायम मुकामान– 1/1 भंवरराम पुत्र श्री नरसीराम के कायम मुकामान– 1/1/(क) दुर्गादेवी पत्नी भंवरराम 1/1/(ख) धनराज पुत्र भंवरराम 1/1/(ग) सोनू पुत्री भंवरराम 1/1/(घ) मोनिका पुत्री भंवरराम 1/2 सुरेश पुत्र श्री नरसीराम 1/3 महेन्द्र पुत्र श्री नरसीराम 1/4 मनोहरी पत्नि श्री नरसीराम 2. सहीराम पुत्र श्री रामचन्द्र 3. लिछमणराम पुत्र श्री रामचन्द्र 4. रामनिवास पुत्र श्री रामचन्द्र जातियान गुरडा निवासीगण रायधनू तहसील व जिला नागौर (राजस्थान) 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जी नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सैन।
2. अप्रार्थी संख्या–1 से 4 की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़, अप्राथी संख्या–5 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक : 06-07-2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र पुत्र गणेशराम जाति गुरडा निवासी रायधनु ने तत्कालीन राजस्वकर्मियो से मिलावट कर, मिलीभगत कर खसरा नम्बर 261 मौजा रायधनू में से अपने नाम 15 बीघा जमीन का आवंटन आदेश करवाकर उक्त जमीन का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया, जो कि उक्त आवंटन कपट व दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हैं, क्योकि आवंटन की दिनांक को अप्रार्थीगण के पिता के नाम मौजा रायधनू में अन्य खसरान की खातेदारी दर्ज थी, फिर भी आवंटन समिति ने केवलमात्र अप्रार्थीगण के पिता व पति को नाजायज तौर पर फायदा दिलाने की नियत से आवंटन आदेश किया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण के पिता व पति ने उक्त खसरा नम्बर 261 में से तत्पश्चात अपना नाम रामचन्द्र के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र गणेशराम दर्ज करवाकर आवंटन समिति एवं राजस्व कर्मियो से मिलावट कर फिर से 7 बीघा जमीन अपने नाम आवंटन करवाकर कपट व दुर्व्यपदेश से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हैं, जो कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु आवंटन) नियम 14 की शर्त (4) का भंग किया हैं, ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

उक्त आवंटन के पश्चात आज दिन तक अप्रार्थीगण के पिता व पति ने व स्वयं अप्रार्थीगण ने भी उक्त आदेश की पालना में किसी भी राजस्व रेकर्ड के नक्शे में उक्त जमीन का कब्जा प्राप्त नही किया है,

कलक्टर,नागौर

न ही उक्त जमीन का नक्शा तरमीम करवाया हैं, ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में एवं नक्शे की तरमीम के अभाव में उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अप्रार्थीगण ने आवेदनकर्ता व अन्य के विरूद्ध अपने उक्त आवंटन की भूमि के सीमा ज्ञान हेतु जब माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया, तत्पश्चात आवेदनकर्ता ने उक्त आवंटन के संबंध में दस्तावेजात प्राप्त करने पर उक्त बात की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर आवेदनकर्ता को उक्त धोखे द्वारा प्राप्त किये गये आवंटन की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर उक्त आवंटन की जानकारी हुई, जिस पर आवंटन को निरस्त करवाने हेतु आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है।

उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु माननीय तहसीलदार साहब को भी प्रार्थना पत्र पेश किया था, परन्तु आज दिन तक उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु कोई रेफरेन्स माननीय तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नही किये जाने पर आवेदनकर्ता को मजबूर होकर यह रेफरेन्स प्रस्तुत करनी पड़ रही है। जिसको प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार होने का कथन करते हुए खसरा नम्बर 261 मौजा ग्राम रायधनू में अप्रार्थीगण के पिता व पति चन्द्राराम पुत्र गणेशराम व रामचन्द्र पुत्र गणेशराम जाति गुरडा निवासी रायधनू को आवंटन भूमि रकबा 15 बीघा व रकबा 7 बीघा का आवंटन निरस्त फरमावे एवं दिनांक 18.10.1977 को रकबा 15 बीघा भूमि पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 378 व रकबा 7 बीघा भूमि पर दिनांक 19.01.1983 को खोले गये नामान्तरकरण संख्या 521 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने बहस के समर्थन में आर.आर.टी 2021(2) पेज–1140 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

वकील श्री भगवानसिंह ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से बहस में कथन किया कि, आवेदनकर्ता काशीराम को ऐसा आवेदन/रेफरेन्स पेश करने का ही कोई अधिकार नहीं है उसकी कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। केवल मात्र आवेदनकर्ता के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से नाराज होकर डिफेन्स में झुठा दबाव बनाने के लिए यह रेफरेन्स आवेदन पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। आवेदनकर्ता का यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम पुत्र गणेशराम गुरड़ा निवासी रायधनु ने तत्कालीन राजस्वकर्मीयो से मिलावट कर मिलीभगत कर खसरा नं. 261 मौजा रायधनु में से अपने नाम 15 बीघा जमीन का आवंटन आदेश करवाया हो। बल्कि उक्त आवंटन विधि द्वारा निर्धारित आवंटन की पूरी प्रक्रिया अपना कर बाद जांच नियमानुसार किया गया था जिसको चुनोती देने का आवेदनकर्ता को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह गलत है कि आवंटन कपट व दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो। रेफरेन्स आवेदन विधि विरूद्ध पेश किया होने से खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि वाके सरहद मौजा रायधनु तहसील नागौर में स्थित है जिनमें हाल खसरा नम्बर 1192/261 रकबा 4.00 बीघा सहीराम की खातेदारी का है, खसरा नं. 261/2 रकबा 11 बीघा रामनिवास की खातेदारी का है व खसरा नं. 1045/261 रकबा 7 बीघा हेमी की खातेदारी का स्थित है जो राजस्व रेकर्ड खतौनी से साबित है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त खेताय का मूल खसरा नम्बर 261 रकबा 22 बीघा था, उससे यह नये खसरा नम्बर 261/2 रकबा 15 बीघा व खसरा नं. 1045/261 रकबा 7 बीघा कुल रकबा 22 बीघा बने तथा विभाजन के पश्चात 261/2 के पुनः नये नम्बर 1192/261 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 261/2 रकबा 11 बीघा बने जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त खसरान के पड़ौस में आवेदनकर्ता काशीराम पुत्र लालाराम नाई वगैरा के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 891/258 रकबा 8.12 बीघा स्थित है जिसके खातेदारो ने बदनियती से धीरे धीरे अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासुद उपरोक्त खेताय में से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि को अपने खेत खसरा नं. 891/258 में दबा ली है मौके पर अप्रार्थीगण का केवल 17.14 बीघा पर ही कब्जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी की कुल 22 बीघा उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि बनती है। अप्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है टंटा फिसाद व मुकदमेबाजी करना नहीं चाहते है इसलिए काफी समय से आवेदनकर्ता व अन्य अतिकमीयो को अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का रकबा 4.6 बीघा जो उनके खेत खसरा नं. 891/258 में दबा हुआ है उसे छोड़ने का अनुनय विनय करते रहे और वे आजकल–आजकल करते हुऐ टालमटोल करते रहे व ज्यादा कहने पर टंटा फिसाद करने लग जाते व बाद यह कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी कोई भूमि हमारे खेत खसरा नं. 891/258 में दबी हुई नहीं है जबकि अप्रार्थीगण की 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर आवेदनकर्ता व उसके सहयोगियो का नाजायज कब्जा/अतिक्रमण है। अप्रार्थीगण के भोलेपन व शांतिप्रिय होने का आवेदनकर्ता व उसके परिवार वाले नाजायज फायदा उठा रहे है व कानून को हाथ में लेकर धनबल व बाहूबल के आधार पर जबरदस्ती

कलक्टर, नागौर

अपार्थीगण की खातेदारी की भूमि को अपने खेत में शामिल कर नाजायज अतिकमण कर रखा है तथा और भूमि पर कब्जा/अतिकमण करने पर आमादा है, समझाने के बावजूद मान नहीं रहे है तथा अप्रार्थीगण से टंटा फिसाद कर करते है। जिससे मजबूर होकर न्यायालय में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के खेताय का मौके पर सीमाज्ञान करवाये जाने और अपार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जो आवेदनकर्ता की सहखातेदारी के खसरा नम्बर 891/258 मौजा रायधनु में मिलाया हुवा है उसे अप्रार्थीगण के उक्त खसरान में शामिल करवा कर मौके पर अप्रार्थीगण का कुल रकबा 22 बीघा पूरा करके पत्थर–गड्डी करवाने का आवेदन पेश किया जिससे नाराज होकर उसकी पेशबंदी में अप्रार्थीगण पर नाजायज दबाव बनाने व अप्रार्थीगण की दबाई हुई भूमि को नहीं छोड़ने की बदनियती से यह रेफरेन्स आवेदन पेश किया है इसके अलावा कोई कारण नहीं है, आवंटन विधिनुसार हुआ है जिसको इतनी लम्बी अवधि पश्चात अब आवेदनकर्ता को चुनोती देने का कोई अधिकार भी नहीं है।

यह गलत है कि अप्रार्थीगण के पिता व पति ने उक्त खसरा नं. 261 में से तत्पश्चात अपना नाम रामचन्द्र के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र गणेशराम दर्ज करवा कर आवंटन समिति व राजस्व कर्मीयो से मिलावट कर फिर से 7 बीघा जमीन अपने नाम आवंटन करवा कर कपट व दुर्व्यपदेश से खातेदारी प्राप्त कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो जो राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु आवंटन)नियम 14 की शर्त(4) का भंग किया हो। यह भी गलत है कि उक्त आवेदन निरस्त किया जाना उचित हो। प्रथम तो ऐसी किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है दोयम में आवेदनकर्ता को ऐसा आवेदन पेश करने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है वास्तविक स्थिति जवाब में उपर स्पष्ट की जा चुकी है केवल मात्र अपने डिफेन्स में व अप्रार्थीगण पर नाजायज दबाव बनाने के लिए इस तरह के झुठे व बनावटी तथ्य दर्ज कर आवेदन पेश किया गया है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि पटवारी हल्का रायधनु ने दिनांक 30.12.2016 को तहसीलदारजी के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिसमें भी स्पष्ट अंकन है कि ग्राम रायधनु के मूल खसरा नं. 261 में से खसरा नं. 1045/261 रकबा 7.00 बीघा भूमि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा के नाम दर्ज है उक्त भूमि के संबंध में श्रीमान तहसीलदार साहब नागौर के आदेश क्रमांक भू.अ./15/7955–61 दिनांक 20.12.2016 की पालना में गठित टीम द्वारा दिनांक 21.12.2016 को खसरा नं. 261 का सम्पूर्ण नाप चोप किया, परन्तु उस वक्त हल्का पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा में खसरा नं. 1045/261 की तरमीम स्पष्ट एवं सहज दृश्य नहीं होने की वजह से खसरा नं. 1045/261 का सीमाज्ञान करना संभव नहीं था, परन्तु दिनांक 30.12.2016 को तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में ग्राम रायधनु के पुराने नक्शे की तलाश की गई और पुराना नक्शा प्राप्त हुआ, पुराने नक्शे में खसरा नं. 1045/261 की तरमीम की हुई है जो खसरा नं. 261/2, 258, 292/261 व 1094/261 के मध्य है। उक्तानुसार तरमीम के नजरी नक्शा की प्रति पत्रावली प्रस्तुत की हुई है। अप्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम था व दोनो नामो से जाने व पहचाने जाते थे जो राजस्व रेकर्ड से भी साबित है।

तहसीलदार जी नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–01/2016 हेमी बनाम काशीराम अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट में प्रार्थी व अन्य उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2.10 बीघा भूमि पर प्रार्थी काशीराम व अन्य राजूराम का अतिक्रमण मानकर बेदखली का निर्णय दिनांक 02.12.2019 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी काशीराम व राजूराम द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्व अपील प्रस्तुत की जिसके राजस्व अपील संख्या–110/2019 काशीराम वगै. बनाम श्रीमति हेमी पत्नि रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम के कायम मुकामान रामनिवास वगैरह है। उक्त अपील को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 02.08.2021 को खारिज कर दिया।

यह गलत है कि आवंटन आदेश के पश्चात अप्रार्थीगण व उनके पिता व पति ने कब्जा प्राप्त नहीं किया हो, बल्कि उक्त रिपोर्ट, मौके की स्थिति, अनुसार अप्रार्थीगण का मौक पर लगातार कब्जा काश्त रहता चला आना प्रमाणित है केवल मात्र आवेदनकर्ता के इस तरह से मनमर्जी से झुठे कथन कर देने से अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होना, नहीं माना जा सकता है। इस तरह के बनावटी व झुठे आधारो पर विधिनुसार हुआ आवंटन किसी भी सुरत में निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

अप्रार्थीगण द्वारा आवेदनकर्ता व अन्य के विरूद्ध सही आधारों पर धारा 128 राज0 भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है। आवेदनकर्ता ने मनमर्जी से झुठे आक्षेप लगाकर रेफरेंस पेश किया है ताकि अप्रार्थीगण की खातेदारी की दबाई हुई भूमि पर उसका नाजायज कब्जा बना रह सके, इस बदनियतीपूर्ण कृत्य में आवेदनकर्ता किसी भी सुरत में सफल नहीं हो सकता है। रेफरेन्स आवेदन विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। आवेदनकर्ता को उक्त विधिनुसार हुऐ आवंटन को निरस्त

कलक्टर, नागौर

करवाने हेतु आवेदन पेश करने का कोई अधिकार नहीं है आवेदन विधि विरूद्ध मियाद बाहर व बिना अधिकार के पेश किया होने से खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए आवेदनकर्ता का उक्त रेफरेंस आवेदन सारहीन, बलहीन, असत्य तथ्यो पर आधारित, विधि विरुद्ध पेश किया होने से मय खर्चा हर्जा खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने बहस के समर्थन में आर.आर.डी. मार्च, 2021 पेज–126, आर.आर.टी. 2003(2) पेज–921 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार ने बहस में वकील अप्रार्थी श्री भगवानसिंह की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रकरण में विधिवत् आवंटन किया जाकर आवटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त किये जा चुके है। प्रार्थी द्वारा आवंटन का निरस्त करवाने हेतु यह प्रकरण 45 वर्ष बाद अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2025 से संवत 2028 के अनुसार ग्राम रायधनू में चंदा पुत्र गणेश गुरड़ा सा. देह के नाम ग्राम रायधनू के ख0नं0 162 में 5.8बीघा व खसरा नम्बर 6.11बिघा भूमि की खातेदारी दर्ज रही है। वकील प्रार्थी द्वारा चन्दाराम द्वारा गांव रायधनू के खसरा नम्बर 261 में से 7 बीघा भूमि आवंटन के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र–3 के अनुसार दिनांक 10.10.71 को उक्त 7बीघा भूमि का आवंटन किया गया है, जिसके संबंध में ग्राम रायधनू का नामान्तरकरण संख्या 278 जो सरपंच रायधनू द्वारा दिनांक 29.04.73 को स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार 7 बीघा भूमि का चन्द्राराम पुत्र गणेशराम सा. देह के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। ततपश्चात नामान्तकरण संख्या 521 के अनुसार 10 वर्ष पूर्ण होने पर उक्त चन्द्राराम के नाम उक्त 7 बीघा भूमि की खातेदारी का नामान्तकरण दिनांक 19.01.1983 को स्वीकृत किया गया है। ग्राम रायधनू नामान्तकरण संख्या–198 जो सरपंच रायधनू द्वारा वर्ष 1970 में स्वीकृत किया गया है, जिसमें आवंटन संवत् 2023 का उल्लेख करते हुए 15 बीघा भूमि का आवंटन रामचन्द्र पुत्र गणेश गुरड़ा आवंटी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। ततपश्चात नामान्तकरण संख्या 378 के अनुसार रामचन्द्र को यह भूमि सं0 2023 में आ.पु.सं. के जरिये आवंटन हुई जिसे 10 वर्ष पूर्ण होने पर उक्त रामचन्द्र के नाम उक्त 15 बीघा भूमि की खातेदारी का नामान्तकरण दिनांक 18.10.1977 को स्वीकृत किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा मुख्यतः उक्त दोनों आवंटनों का निरस्त करने का निवेदन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्राराम एवं रामचन्द्र को दो अलग–अलग नामों से आवंटन सीमा पूर्व में धारित भूमि सहित 10 एकड़ अर्थात 25 बीघा से 8.19 बीघा अधिक भूमि का आवंटन हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चन्द्राराम ने एक बार रामचन्द्र के नाम से तत्पश्चात रामचन्द्र के नाम से दो बार भूमि आवंटन करवा लिया है तथा पूर्व धारित भूमि के तथ्य को छुपाया जाकर उक्त भूमि आवंटन प्राप्त किया गया है।

उक्त आवंटन के पश्चात आज दिन तक अप्रार्थीगण के पिता व पति ने व स्वंय अप्रार्थीगण ने आवंटन आदेश की पालना में किसी भी राजस्व रेकर्ड के नक्शें में उक्त जमीन का कब्जा प्राप्त नहीं किया है, न ही उक्त जमीन का नक्शा तरमीम करवाया है, को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण द्वारा वकील प्रार्थी के उक्त कथन को अस्वीकार करते हुए मौके पर लगातार कब्जा काश्त होना तथा ग्राम रायधनु के पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई होना बताया है, जिसकी प्रति पत्रावली प्रस्तुत की हुई होना बताया। राजपैराकार ने भी तरमीम की हुई होना स्वीकार किया है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 के अनुसार तहसीलदार नागौर के आदेश क्रमांक–भू.अ./16/7955–61 दिनांक 20.12.2016 की पालना में गठित टीम द्वारा दिनांक 21.12.2016 को खसरा नम्बर 261 का सम्पूर्ण नाप–चौप किया गया, परन्तु उस वक्त हल्का पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम स्पष्ट एवं सहज दृश्य नहीं होने की वजह से खसरा नम्बर 1045/261 का सीमाज्ञान करना संभव नहीं था। परन्तु दिनांक 30.12.2016 को तहसील कार्यालय के रिकार्ड रूम में ग्राम रायधनू के पुराने नक्शे की तलाश की गई और पुराना नक्शा प्राप्त हुआ। पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई है, जो खसरा नम्बर 261/2, 258, 992/261 व 1094/261 के मध्य है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा की प्रति अनुसार भी उक्तानुसार तरमीम की हुई होना पाया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी का उपर्युक्तानुसार कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में भूमि आवंटन के करीब 45 वर्ष पश्चात प्रार्थी द्वारा यह राजस्व मामला आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटनों को निरस्त करने का निवेदन किया है। इसके अलावा उक्त आवंटित भूमियों

कलक्टर, नागौर

के संबंध में आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त किये जा चुके है। इसलिए अब 45 वर्ष पश्चात सम्पूर्ण आवंटन का निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। जहाँ तक रामचन्द्र एवं चन्द्राराम के नाम से जो आवंटन किये गये है, उसमें आवंटन सीमा पूर्व में धारित भूमि सहित 25 बीघा से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु हस्तगत प्रकरण में रामचन्द्र एवं चन्द्राराम जो एक ही व्यक्ति है, को 8.19 बीघा अधिक भूमि का आवंटन हुआ है, जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत यह राजस्व मामला आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायधनू नामान्तकरण संख्या–198 जो सरपंच रायधनू द्वारा वर्ष 1970 में स्वीकृत किया गया है, जिसमें आवंटन संवत् 2023 का उल्लेख करते हुए 15 बीघा भूमि का आवंटन रामचन्द्र पुत्र गणेश गुरड़ा आवंटी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। उक्त आवंटित शुदा भूमि में से 8बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है, शेष आवंटन यथावत रखा जाता है। उक्त 8बीघा 19 बिस्वा भूमि की राजस्व रिकार्ड में, आवंटन से पूर्ववत की स्थिति बहाल कर उक्त भूमि राजहक मे ली जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)